



## नगर निगम, लखनऊ

कार्यालय-आदेश

संख्या: 1270/मुंवि/के०

दिनांक 28/2/19

मैं, डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी, नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ उ०प्र० नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 112 एवं संपठित धारा 119(1)(डी) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित अपर नगर आयुक्तों को उनके नाम के सम्मुख अंकित विभागों के कार्यों/ दायित्वों के निर्वहन करने हेतु अधिकृत करता हूँ :-

1.	श्री अभित कुमार अपर नगर आयुक्त	1.	अधिष्ठान विभाग (केन्द्रीयत/ अकेन्द्रीयत), लेखा विभाग, प्रचार विभाग, स्मार्ट सिटी, अभियंत्रण विभाग जोन-1, 3, 4 व 7 का कार्य, नगरीय फेरी नीति (वेन्डिंग जोन), भूमिगत/ खुली पार्किंग, जनहित गारण्टी योजना, पेंशन, फण्ड एवं बीमा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट, बायो मेडिकल वेस्ट, तहसील दिवस, ट्रैफिक सुधार, कम्प्यूटराईजेशन, जन सूचना, निर्वाचन एवं जनगणना, बाढ़ पम्पिंग स्टेशनों का रख-रखाव एवं समिति विभाग का कार्य।
		2.	उक्त विभागों के रू० 10,000 (स्टोर का रू० 15000) की स्थायी अग्रिम प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना जो एक विभाग का एक माह में अधिकतम रू०-10,000 (स्टोर हेतु रू० 15000) से अधिक नहीं होगा।
		3.	उक्त विभागों से सम्बन्धित वेतन बिलों पर भुगतान आदेश पारित करना, चेकों पर हस्ताक्षर करना।
		4.	आवंटित विभागों से सम्बन्धित मा० रासद, मा० विधायक, मा० गार्ड, जिला प्रशासन, मा० आयुक्त, मा० आयोग, शासन, नगर विकास, तहसील दिवस, मा० मुख्यमंत्री कार्यालय, जनता तथा अन्य स्तरों से प्राप्त सन्दर्भों/ शिकायती पत्रों का निस्तारण एवं उनका नियमित अनुश्रवण करना एवं बैठकों में भाग लेना।
		5.	आवंटित विभागों से सम्बन्धित कार्यों का अनुश्रवण करना तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरान्त देयकों के चेकों पर हस्ताक्षर करना।
		6.	आवंटित विभागों से सम्बन्धित प्रकरण में जिला व पुलिस प्रशासन से समन्वय स्थापित करने सम्बन्धी कार्य।
		7.	आवंटित विभागों से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों का निरतारण करना।
		8.	केन्द्रीयत/ अकेन्द्रीयत सेवा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश, अवकाश के बदले नगदीकरण, वेतन निर्धारण एवं ए०सी०पी० का लाभ स्वीकृत किया जाना।

PS -  
श्री अभित कुमार  
अपर नगर आयुक्त